FD

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीएसएम न. 2022 / 607

मुकदमा नम्बर 201 / 2022 दायर दिनांक–20.12.2022

1. सज्जन कुमार
2. मनोहर लाल
3. सांवरमल
4. रामस्वरूप पुत्रगण स्व. मूलचन्द जाति नाई निवासीगण बडवासी तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू

.... वादी

बनाम

1. सरवर पुत्र मदन जाति नाई निवासी बडवासी तहसील नवलगढ (उक्त नाम तथा कथित गलत दर्ज हो रहा है। इस नाम का कोई व्यक्ति नही है और ना ही कोई सम्बन्ध है जिसको हजफ किया जाना है।)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड हॉल्डर तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू

.... प्रतिवादी

दावा – घोषणार्थ,दुरूस्ती रिकार्ड,विभाजन

प्रतिनिधत्वः–

वकील वादी– श्री विजेन्द्र सिह दूत

वकील प्रतिवादी :– पैरो. राज

–:निर्णयः–

निर्णय दिनांक 13.05.2024

वाद वादी दिनांक 23 / 06 / 2023 को माननीय न्यायालय एसीईएम नवलगढ द्वारा प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया गया था तथा तहसीलदार नवलगढ़ को मौका कमीशनर नियुक्त किया गया एंव मुताबिक प्राथमिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी मे कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत् आदेशित किया गया था। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक भू.अ. / 24 / 62 दिनांक 05 / 01 / 2024 द्वारा प्रस्तुत किया गया। वकील वादी द्वारा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव सहमति व्यक्त की गई। विभाजन प्रस्ताव न्यायोचित होने से वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। सुलभ संदर्भ हेतु प्राथमिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा उक्त निर्णय का भाग होगा।

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर आवश्यक अमलदरामद करे। राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह)RAS

उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़

(जिला–झुझुंनू)

Scanned with CamScanner

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ

श्री जय सिंह (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

जीएसएम न. 2022/607

मुकदमा नम्बर 201/2022 दायर दिनांक–20.12.2022

(सज्जन कुमार वगै0 बनाम सरवर वगै0)

दावा – घोषणार्थ,दुरूस्ती रिकार्ड,विभाजन

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू श्री जय सिंह (आर0ए0एस0),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब– मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

वाद वादी दिनांक 23/06/2023 को माननीय न्यायालय एसीईएम नवलगढ द्वारा प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिकी किया गया था तथा तहसीलदार नवलगढ़ को मौका कमीशनर नियुक्त किया गया एंव मुताबिक प्राथमिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी मे कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत् आदेशित किया गया था। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक भू.अ./24/62 दिनांक 05/01/2024 द्वारा प्रस्तुत किया गया। वकील वादी द्वारा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव सहमति व्यक्त की गई। विभाजन प्रस्ताव न्यायोचित होने से वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। सुलभ संदर्भ हेतु प्राथमिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा उक्त निर्णय का भाग होगा।

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर आवश्यक अमलदरामद करे। राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे।

जन..........–.............. मुबलिग..........–...........बाबत.....–..........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–........... फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–............का अदा करे।

बस्वत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 13 माह 05 सन 2024 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	5.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	1.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	0.00	मुतफरिक मिजान	0.00

Scanned with CamScanner